एसएचओ कर दिया कुर्बान
अफ़सरान मेहरबान तो एएसआई पहलवान

फ़रीदाबाद (म.मो.) थाना एन.आई.टी. में तैनात एएसआई सुरेन्द्र स्वामी के कारनामों का थोड़ा सा विवरण 'मज़दूर मोर्चा' के मई 1-15 अंक में प्रकाशित होने के बाद थाने के एसएचओ कुलदीप सिंह को काफ़ी शर्मिन्दगी महसूस हुई। उन्होंने थाने के कर्मचारियों की मौजूदगी में उसे काफ़ी झाड़-फटकार के साथ आदेश दिया था कि वह तुरन्त थाने से अपनी रवानगी डालकर पुलिस लाइन में आमद (हाजिरी) डाल ले। परन्तु स्वामी की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो चुकी हैं कि वह खुद तो लाईन हाजिर हुआ नहीं, बल्कि अपने एसएचओ को ही चलता करवा दिया।

उच्चाधिकारियों के आशीर्वाद एवं सरंक्षण के चलते अब स्वामी पूरी तरह से बौखौफ़ होकर अपने सरकारी डंडे व कलम का इस्तेमाल कर एन.एच-5 क्षेत्र में जमकर लूटमार व आशिकी करने में जुटा है। जितनी मोटी-मोटी लूटमार स्वामी कर रहा है, उसे देखकर लगता नहीं कि वह सारा माल खुद ही हजम कर लेता होगा। इसमें जरूर एक बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे उच्चाधिकारियों का रहता होगा।

रिश्वत देने वाले अक्सर रिश्वत देकर चुप ही रहते हैं। पुलिसिया डंडे व कलम के डर से वह कभी मुंह नहीं खोलते। लेकिन बहुत ज़्यादा तंग आये सरदार गुरचरण सिंह निवासी 5 एल/80 ने न केवल 'मज़दूर मोर्चा' को बल्कि इलाके के एसीपी रामचन्द्र राठी को पेश होकर लिखित शिकायत की है। करीब 60 वर्षीय गुरचरण सिंह अपनी इस शिकायत में कहते हैं कि स्वामी ने उनके व उनके परिवार के विरूद्ध थाना एनआईटी में दर्ज एक दहेज विरोधी मुकदमा नम्बर 63 में से उनके बेगुनाह बेटे अतिंदरपाल का नाम निकालने की एवज में डेढ़ लाख रूपए की मांग की। यह

एनआईटी का चुलबुल पाण्डे

रकम उसने एसीपी रामचन्द्र राठी को देने के नाम पर मांगी थी। रकम न देने की सूरत में उसने बड़े बेटे परविंदर, जो उस समय पुलिस हिरासत में था को टार्चर करने की धमकी दी। डर के मारे गुरचरण सिंह जो खुद उस समय गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत थे, किसी किसी से जुगाड़ कर 45000/- रूपए स्वामी को एक दलाल के माध्यम से भिजवाये तथा 5000 रुपए अपनी अग्रिम जमानत होने के बाद खुद दिये। इतना ही नहीं स्वामी ने एक हज़ार रूपए दो दिन तक हवालात में बन्द रहे उनके बेटे परविंदर को एक चादर, कछुआ छाप व खाने लायक भोजन की 'सुविधा' देने के नाम पर वसूल किये जबकि वास्तव में इनमें से कोई चीज़ उसको दी नहीं गयी। इसके अलावा गुरचरण ने बताया कि एक दिन स्वामी उसकी खिलौनों की दुकान से बच्चों की एक खिलौना कार भी उठा ले गया। जिसकी कीमत 5000/- रूपए है, बार-बार मांगने पर भी स्वामी ने इसका कोई पैसा नहीं दिया।

दिनांक, 7 जून को गुरचरण ने जब इस बाबत एसीपी राठी को पेश होकर उक्त सारी बात बताई तो उन्होंने स्वामी को बुलाया। स्वामी के मुंह पर जब गुरचरण ने वही आरोप दोहराये तो एसीपी राठी ने स्वामी को धमकाने का पूरा नाटक करते हुए दो दिन के भीतर उनके कुल 56000/- रूपए लौटाने का आदेश दिया। मजे की बात तो यह है कि स्वामी उक्त रकम लेने की बात से ज़रा भी नहीं मुकरा और रकम लौटाना स्वीकार कर लिया।

सवाल यह पैदा होता है कि क्या स्वामी द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग करके ली गयी रिश्वत लौटाने से उसके द्वारा किया गया गुनाह समाप्त हो जाता है? नहीं बिल्कुल नहीं। बकायदा भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके स्वामी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि एसीपी राठी ने अपनी कलम से जिस अतिन्दर का नाम एफआईआर से निकाला था, वह झूठा नाम एफआईआर में डाला ही क्यों गया था? सीधी सी बात है कि पहले तो झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले से रिश्वत ली जाती है और फिर नाम निकालने के पैसे अलग से वसूले जाते हैं। इस तरह के मामलों में स्वामी जैसे छोटे मुलाजिम तो मोहरे मात्र होते हैं असल मोटा माल तो ऊपर बैठे उच्चाधिकारी ही डकारते हैं। इस मामले में भी स्वामी ने एसीपी को तुरन्त 30000 नकद दे दिये और शेष 26000 एक-दो दिन में देने का वायदा कर दिया है। एएसआई स्वामी, जैसा कि गतांक में भी बताया जा चुका है, इसी थाने में हवलदारी करने के बाद यहीं अब थानेदारी कर रहा है। अपनी पुरानी व गहरी जान-पहचान के बल पर वह सभी तरह के अपराधियों, गुंडों, देह व्यापारियों , शराब माफियाओं व सट्टेबाजों आदि से सांठ-गांठ करके उन्हें गलत धंधे करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी तैनाती को इस थाने में बनाये रखने के लिए स्वामी अफ सरों की हर तरह से 'सेवा' करता है।

गतांक में सुधी पाठकों ने पढ़ा होगा कि इसी 5 नम्बर में हुए बच्चे के अपहरण के समय यह गश्त के नाम पर थाने से निकला हुआ था तथा अपहरण स्थल से मात्र 15 गज़ के फ़ासले पर हजारा प्रोपर्टी के दफ्तर में 3 अन्य पुलिसकर्मियों को लिये बैठा था। तत्कालीन एसएचओ कुलदीप ने इसकी इन्हीं हरकतों से दुखी होकर इसे लाईन में जाने का आदेश दिया था। लेकिन यह तो लाइन में नहीं पहुंचा, एसएचओ साहब जरूर यहां से कूच कर गये। इसी के चलते न केवल इसके हौंसले बुलन्द हैं बल्कि अन्य अच्छे पुलिस कर्मियों को भी इसकी राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है।

मुकदमा नम्बर 63 का फ़र्ज़ीवाड़ा

जसमीत कौर जोकि गुरचरण के पुत्र परविन्दर की पत्नी थी, की शिकायत पर यह मुकदमा भा.दं.स. की धारा 498ए व 406 के अंतर्गत दिनांक 24.03.14 को थाना एनआईटी में दर्ज किया गया था। गुरचरण के अनुसार परविन्द्र-जसमीत कौर की शादी 22 अगस्त 2009 को हुई थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई तकरार नहीं थी। दिनांक 23 फरवरी 2014 को जसमीत ने यकायक उन्हें कहा कि उसे परिवन्द्र से तलाक दिला दो, वह कहीं और शादी करना चाहती है। एकदम सकते में आये गुरचरण ने उसे समझा-बुझा कर रोकना चाहा तो उसने धमकी दी कि यदि तलाक न दिलाया तो वह उनके सारे परिवार के विरुद्ध पुलिस केस बनवा देगी।

इसी बीच गुरचरण सिंह को पता चल गया कि जसमीत कौर का चक्कर उनकी दुकान में कार्यरत एक नौकर रिक्की भाटिया के साथ चल रहा है। इसके बावजूद गुरचरण ने बदनामी से बचने के लिए जसमीत को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह तुरन्त उनका घर छोड़कर अपने मायके, जोकि इसी 5 नम्बर में है, चली गयी। वहीं से उसने पुलिस कार्यवाही शुरू कर दी। इसके फलस्वरूप 4 मार्च, 2014 को उन्हें सपरिवार एन.आई.टी. के महिला सैल में बुलवाया गया, जहां इन्चार्ज इस्सपैक्टर आशा रानी ने इन्हें कफी प्रताड़ित किया। इसकी शिकायत गुरचरण ने सी.पी. ;पुलिस कमिश्नर चावला से की जहां से सूखे आश्वासन के अलावा कोई राहत नहीं मिली।

4 अप्रैल 2014 को इसी थाने के एएसआई सुरेन्द्र स्वामी ने गुरचरण को धारा 160 के तहत नोटिस देकर 5 अप्रैल को थाने में हाजिर होने को कहा। गुरचरण ने एसीपी राठी से गुजारिश करके 5 की बजाय 13 अप्रैल को हाजिरी होने का नया नोटिस बनवा लिया।

लेकिन एएसआई सुरेन्द्र स्वामी तंग करने से बाज़ नहीं आया। उसने इस परिवार पर इतना दबाव बना दिया कि वे सारे घर को ताला लगाकर चले गये। अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई जिस पर परविन्द्र को छोड़कर शेष सबकी जमानत हो गयी। परिवन्द्र ने वकील के साथ जाकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था।

निर्माण वैध हैं तो तोड़ते क्यों हो, अवैध है तो बनवाते क्यों हो ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 9-6-2014 को एन.एच. 5 नम्बर की मेन मार्किट 5सी/44 में बन रहे शॉपिंग कम्पलैक्स पर कार्यवाही करते हुए नगर निगम अधिकारियों ने इसको दूसरी बार सील कर दिया। इस सीलिंग से पहले भी जुलाई 2013 में इसके कुछ हिस्से को नगर निगम द्वारा तोड़ा गया था व बाकी के हिस्से को सील किया गया था। लेकिन बिल्डर चांद व उसके पार्टनर नरेश आहूजा द्वारा की गई सेवा पानी व पार्षद पति नरेश गौसाई को 10 लाख रुपये व इस कम्पलैक्स में कुछ हिस्सा देने की बदौलत नगर निगम ने चुपचाप इसका निर्माण कार्य फ़िर से शुरू होने दिया।

'मज़दूर मोर्चा' के पिछले अंक में इसे प्रकाशित किया गया तो सप्ताह भर बाद नगर-निगम अधिकारियों ने इसे दोबारा सील कर दिया। यहां प्रश्न यह उठता है कि नगर-निगम के अधिकारियों ने शॉपिंग कम्पलैक्स को ध्वस्त करने के साथ-साथ बिल्डर चांद व नरेश आहूजा पर सील तोड़ने का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया।

जाहिर है नगर निगम वाले तोड़-फोड़ की यह नौटंकी केवल अपनी लूट कमाई के लिए करते हैं। मौलिक प्रश्न यह है कि यदि कोई निर्माण अवैध है तो उसे बनते वक्त ही ध्वस्त क्यों नहीं कर दिया जाता? यह सीलिंग का ड्रामा क्या है? दूसरी बात, जो इस मौजूदा मामले में सामने आई है, साल भर पहले सील हुए अर्धनिर्मित भवन में काम शुरू कैसे हो गया? सील तोड़ने का मुकदमा ही यदि दर्ज नहीं कराना होता तो सील लगाई ही क्यों जाती है? **जाहिर है यह सब निगम कर्मियों की लूट का एक तरीका है अब देखना यह है कि दो बार सील हो चुके इस शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य फ़िर कब से शुरू होता है? देखना यह भी है कि इस बार निगमायुक्त बिकता है या मुख्यमंत्री!**

संगठन को चुस्त दुरुस्त करेगी 'आप'
बहुमत हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में

फ़रीदाबाद (म.मो.) 14 जून, शनिवार को यहां वैश्य धर्मशाला में हुए 'आप' के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी संगठन को चुस्त दुरूस्त करने, लोकसभा चुनावों में आशातीत सफलता न मिलने के कारणों आदि पर चर्चा की गई।

इससे पहले पार्टी के रणनीतिकार योगेन्द्र यादव ने सैक्टर 11 में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने बताया कि पार्टी सदस्यों का सत्यापन करके बूथ से जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक समितियां बनाकर पार्टी को संगठित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि संगठन नीचे से उपर की तरफ बनेगा और हर स्तर पर नीचे के सदस्यों द्वारा इकाईयां चुनी जायेंगी और हर स्तर पर लोगों को भी मौका मिलेगा।

म.मोर्चा. के एक सवाल के जवाब में

लुटेरों से जंग तो लड़नी ही होगी

योगेन्द्र ने कहा कि पूरे देश में 400 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का लिखित और सर्वसम्मत फैसला था। अगर पार्टी कम सीटें लड़ती तो हो सकता था कि पार्टी पंजाब में वहां से चुनाव न लड़ने का फैसला लेती जहां से वह चुनाव जीती है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादा सीटें लड़ने से पार्टी की एक पहचान बनी और वह पूरे देश में फैली। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी की किसी भी मीडियाकर्मी से कोई नाराजगी या विरोध नहीं है बल्कि उसका विरोध मीडिया हाउसेस के मालिकों से है जो अपने हितों के अनुसार पार्टी की कवरेज में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं।

इसके बाद एनआईटी के वैश्य धर्मशाला में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब दिये गये। अंत में हरियाणा चुनावों के बारे में मतदान करवाया गया। कार्यकर्ताओं ने बहुमत से हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी को सुनाया।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 1-15 जून 2014 के अंक में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों पर लेख पढने को मिले। लेख 'भ्रष्टाचारी बना मंत्री और व्हिसिल ब्लोअर को घेरे संतरी' तथा 'गडकरी के अच्छे दिन आये: उसे चोर बताने वाले जेल गए' माध्यम से अरविन्द केजरीवाल द्वारा जारी की गई भ्रष्टाचारियों की सूची के मद्देनज़र तथाकथित भ्रष्टाचारियों द्वारा अदालतों में केजरीवालज के विरुद्ध दायर मानहानी के मुकदमों के संबंध में लेखक ने केजरीवाल का पक्ष लेने का प्रयास किया है। केजरीवाल ने जोश में आकर जनता का समर्थन लेने के लिए जिसको भी चाहा उसको भ्रष्टाचारी बना दिया, चाहे केजरीवाल के पास उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई पुख्ता सबूत हो या न हो। अभी तक के जांच में गडकरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं, हालांकि केजरीवाल ने दावा किया है कि गडकरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी दस्तावेज उनके पास हैं। अदालत ने इस मामले में केजरीवाल के विरुद्ध आरोप भी तय कर दिए हैं। न्याय प्रक्रिया में देरी , खर्चीलेपन और जन विमुखता जैसी बुराइयों को रेखांकित करने के प्रयास के संबंध में केजरीवाल का जमानत के लिए मुचलका बांड भरकर रिहा होने की अपेक्षा जेल जाना उनका जनता का पुन: विश्वास जीतने का प्रयास था, जिसके लिए केजरीवाल ने जेल से ही जनता के नाम पत्र भी लिखा था, परन्तु जनता का वांछित सहयोग नहीं मिला। न्याय प्रणाली की बुराइयों को अदालत में पी.आई .एल दायर करके भी उज़ागर किया जा सकता है। एक अन्य लेख 'आप-भूत और भविष्य' में आप के गिरते ग्राफ़ का सटीक और संतुलित विश्लेषण किया गया है। केजरीवाल द्वारा आर्थिक और विचारधारात्मक मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट न करने और संगठनात्मक ढांचा मज़बूत न करने का ही परिणाम है कि केजरीवाल के सहयोगी एक-एक करके केजरीवाल पर तानाशाही व्यवहार का आरोप लगाते हुए छोड़ते जा रहे हैं। अभी उनके निकटतम और महत्वपूर्ण सहयोगी योगेन्द्र यादव की भी तानाशाही का आरोप लगाते हुए 'आप' से त्याग पत्र देने की खबरें आ रही हैं, हालांकि 'आप' ने योगेन्द्र यादव का त्यागपत्र अस्वीकार कर दिया है। इन घटनाओं के संदर्भ में जनता का पुन: विश्वास प्राप्त करना कठिन होगा।

.इसके अतिरिक्त मीडिया जो पूरी तरह से मोदी मय हो चुका है वह अन्ना आंदोलन के दौरान की तरह पुन: केजरीवाल को समर्थन देगा संदेहास्पद है। लेख 'देश में नमो नमो-सत्ता में दक्षिणपंथ' के संबंध में स्पष्ट है कि मोदी शासनकाल में कारपोरेट घरानों के तथाकथित अच्छे दिन आयेंगे तथा वे पूरा मुनाफ़ा कमाएंगे। आम जनता की क्या दशा होगी अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। इसके अतिरिक्त कट्टरपंथी हिन्दुत्ववादी शक्तियों का पूरी तरह बेलगाम होने की आशंका है जिसका हाल ही का प्रत्यक्ष प्रमाण है पुणे में एक निर्दोष मुसलमान नवयुवक की हत्या।

नारी के सशक्तीकरण के संबंध में लेख 'स्त्री के सशक्तीकरण का राजनीतिक एजेंडा' द्वारा सशक्तीकरण के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों का वर्णन किया गया है। अगर इन उपायों को कार्यान्वित कर लिया जाए तो कोई शक नहीं कि स्त्री एक अबला नारी नहीं रहेगी। परंतु ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से लेकर विधानमंडलों तक में स्त्रियों की संख्या कम से कम दो तिहाई पहुंचेगी, यह अभी मृगतृष्णा लगती है। क्योंकि अभी तक इन संस्थाओं में इनकी कम से कम एक तिहाई संख्या निर्धारित करने संबंधी बिल संसद में लटका पड़ा है। 'गरीबी और प्रधानमंत्री मोदी' लेख में लेखक ने नव-उदारवादी पूंजीवाद और धार्मिक राष्ट्रवाद का तर्कयुक्त विश्लेषण किया है कि गरीबों, युवाओं और स्त्रियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी कभी सचमुच की आशा नहीं बन सकते बल्कि उनका शासन मृग मरीचिका ही सिद्ध होगा। 'तुकी-ब-तुर्की' द्वारा नरेन्द्र मोदी व श्री श्री रविशंकर जैसे बाबाओं के नापाक गठजोड़ पर उचित व्यंग्य किया गया है। अन्य प्रकाशित लेख भी काफ़ी प्रेरणादायक व जनता को जागरूक करने वाले हैं।

-जुगल किशोर गुप्ता